[2003] 4 उम.नि.प.1

सोसाइटी ऑफ सेंट जोसफ कालेज

बनाम

भारत संघ और अन्य

20 नवम्बर, 2001

मुख्य न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा , न्यायमूर्ति सय्यद शाह मोहम्मद कादरी , न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगडे, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा और न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल

मद्रास स्थावर सम्पत्तियों का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1956 [मद्रास रेक्विज़ीशन एण्ड एक्वीज़िशन ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऐक्ट, 1956] – धारा 3(1) और धारा 4(1) [सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 30 का खण्ड (1-क)] – अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्ति – साधारण विधि – अर्जन – संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार का अतिक्रमण – किसी अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था की सम्पत्ति किसी ऐसी विशेष विधि के अधीन ही अर्जित की जानी चाहिए जो ऐसे अर्जन के लिए समुचित प्रतिकर का उपबंध करती हो और ऐसा अर्जन ऐसी संस्थाओं के कार्यकरण को प्रभावित न करने वाला हो ।

रिट याची एक अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान है जो कैथोलिक धर्म का एक धर्म-संघ है । रिट याची ने एक शैक्षिक संस्थान स्थापित किया था । इस संस्थान का एक भवन भारत सरकार के डाक और तार विभाग को किराए पर दिया गया था । बाद में इस भवन का अर्जन करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी । याची ने इस अर्जन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की जो खारिज कर दी गई । रिट अपील फाइल करने पर अपील भी खारिज कर दी गई । रिट अपील में किए गए आदेश के विरुद्ध याची ने विशेष इजाज़त याचिका फाइल की तथा साथ ही संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक रिट याचिका भी फाइल की गई । रिट याचिका का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – संविधान, 1950 का अनुच्छेद 30 संविधान में मूलभूत अधिकारों के अध्याय का एक भाग है । यह अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धार्मिक हों या भाषाई, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है । इसका खण्ड (1-क) यह अपेक्षा करता है कि राज्य विधि बनाते समय, जो एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की किसी सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के लिए उपबंध करता हो, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विधि के अधीन नियत या निर्धारित धनराशि, जिसका संदाय शैक्षिक संस्थान को उसकी सम्पत्ति के अर्जन के लिए होना है, इतनी हो जो उपरोक्त दर्शित अधिकार को न तो निर्बन्धित करे और न ही निराकृत करे । इस प्रकार खण्ड (1-क) राज्य से अर्थात् केन्द्रीय विधान के मामले में संसद से अथवा राज्य विधान के मामले में राज्य विधानमण्डल से यह अपेक्षा करता है कि वह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली ऐसी विनिर्दिष्ट विधि बनाए, जिसके उपबंध यह सुनिश्चित करें कि शैक्षिक संस्थानों को उनकी सम्पत्तियों के अर्जन के लिए देय धनराशि ऐसी न हो जो किसी भी रीति से शैक्षिक संस्थानों के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली हो । यह आवश्यक नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए कोई कानून अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए किन्तु यह आवश्यक है कि ऐसी विधि जो सामान्यतया सम्पत्ति को अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंधित की जाए, इसमें ऐसे संशोधन द्वारा प्रावधान अधिनियमित किया जाना चाहिए जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के विनिर्दिष्ट अर्जन से संबंधित हो । इस उपबंध द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अर्जन के लिए देय धनराशि किसी भी रीति में अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित न करे । खण्ड (1-क) में यह स्पष्ट रूप से

कहा गया है कि उसके पुरःस्थापन की तारीख के उपरांत एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन से विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित हो और उस विधि द्वारा ऐसा उपबंध बनाया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह धनराशियां जो उसके अधीन अर्जन के लिए नियत या निर्धारित की गई हैं, इतनी हैं कि अनुच्छेद 30 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को निर्बंधित या कम न करता हो । आवश्यक रूप से इस प्रकार की विधि को बनाते समय उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो उस धनराशि के निर्धारण से संबंधित नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों की सम्पत्तियों के अर्जन के संबंध में लागू है और इस प्रकार सामान्य अर्जन कानून में उपवर्णित नहीं हैं । (पैरा 5, 6 और 8)

आरम्भिक रिट अधिकारिता : 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 42.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री सोली जे. सोराबजी (महान्यायवादी), वी.ए. बोबडे, के. आर. नाम्बियार, एम.एन. वरगीस, प्रीतेश कपूर, पंकज कालरा, सुश्री वरुणा भंडारी गुगनानी, अशोक भान, पी. परमेश्वरन और सी.वी. सुब्बाराव

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा ने दिया ।

मु. न्या. भरुचा – इस रिट याचिका द्वारा प्रथम बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1-क) के उपबंधों का निर्वचन करने के लिए न्यायालय से अपेक्षा की गई है । संविधान में खण्ड (1-क) को संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था । 44वें संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद 30 इस प्रकार है :–

"30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार –

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।

(1-क) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए ।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है ।"

2. रिट याची सोसाइटी ऑफ जीसज़ द्वारा स्थापित एक अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान है जो कैथोलिक चर्च का एक धर्मसंघ है । याची ने इस शैक्षिक संस्थान को स्थापित किया और वह उसका प्रशासन चला रहा है जिसको त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु का सेंट जोसेफ कालेज कहा जाता है । इसको मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल, 1978 में स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान की गई थी । कालेज के अहाते के भीतर याची के स्वामित्व वाला एक भवन है । यह भवन वर्ष 1910 में भारत सरकार के डाक और तार विभाग को किराए पर दिया गया था और तब से इसे डाक और तार विभाग द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है । तारीख 26 अक्तूबर, 1974 को याची ने त्रिचुरापल्ली मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक को उपरोक्त भवन का किराया रु.830/- प्रतिमाह की दर से बढ़ाने के लिए लिखा । किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । तारीख 30 अक्तूबर, 1974 को चौथे प्रत्यर्थी, राजस्व मंडल अधिकारी, त्रिचुरापल्ली ने याची को मद्रास, स्थावर सम्पत्तियों का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1956 (मद्रास रिक्विजीशन एंड एक्वीजीशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी ऐक्ट, 1956) की धारा 3(1) के अधीन एक सूचना उपरोक्त भवन के अर्जन की कार्रवाई आरंभ करने के लिए दी । तारीख 11 दिसम्बर, 1974 को याची ने उपरोक्त कार्रवाई का विरोध किया । पांच वर्षों तक

कुछ नहीं हुआ । तब तारीख 3 मई, 1979 को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन उपरोक्त भवन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई । तारीख 24 फरवरी, 1980 को याची ने प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध आक्षेप प्रस्तुत किए । तारीख 17 फरवरी, 1982 को धारा 6 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई । तारीख 4 जून, 1982 को चौथे प्रत्यर्थी ने याची को धारा 9(3) और धारा 10 के अधीन सूचनाएं जारी कीं जिसके द्वारा याचियों को अपने समक्ष क्षतिपूर्ति के दावे के संबंध में उपस्थित होने के लिए निर्देश किया गया था । तारीख 9 सितंबर, 1982 को याची ने उपरोक्त अर्जन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की । रिट याचिका खारिज कर दी गई तब याची ने एक रिट अपील फाइल की । रिट अपील तारीख 18 अप्रैल, 1984 को खारिज कर दी गई । इस दौरान तारीख 6 अप्रैल, 1984 को रु.1,56,377/- का एक पंचाट याची के पक्ष में पारित किया गया जो उसको (याची को) भवन के अर्जन पर भुगतान किया जाना था । रिट अपील के आदेश के विरुद्ध एक विशेष इजाज़त याचिका फाइल की गई थी और इसके साथ ही यह याचिका भी अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई । रिट याचिका के द्वारा यह घोषणा चाही गई है कि भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंध अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्तियों के अर्जन के संबंध में लागू नहीं होते और उनकी सम्पत्तियों को अर्जित करने के लिए सशक्त नहीं करते और उपरोक्त भवन के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम की धाराओं (4) और (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई ।

3. याची की ओर से श्री बोबडे ने निवेदन किया कि अनुच्छेद 30 को खण्ड (1-क) के समान उपबंध उसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुरःस्थापित किए गए थे जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) को संविधान से निरसित किया गया था और अनुच्छेद 300-क को जोड़ा गया था । उनके निवेदन के अनुसार उपबंध को इसलिए पुरःस्थापित किया गया था क्योंकि संसद् जो संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, इस तथ्य के प्रति जागरूक थी कि संविधान में मूलभूत अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति के अधिकार को हटाते समय यह अधिक महत्वपूर्ण था कि धर्मनिरपेक्ष भारत में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्तियों के संबंध में सम्पत्ति के अधिकार को एक यथोचित रूप में बनाए रखा जाए । यह महसूस किया गया कि अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने तथा उनको चलाने के अधिकार को भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अथवा अनुसूची III की प्रविष्टि 42 के अधीन संसद् अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा कोई अन्य कानून बनाने से इन शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्तियों का अर्जन करने की समीचीनता के अधीन गंभीर रूप से क्षति पहुंच सकती है और इसमें कमी आ सकती है । यह उपधारणा की जानी चाहिए कि संसद् द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखा गया था : भूमि अर्जन अधिनियम स्वयं कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं करता किन्तु यह एक ऐसा सामर्थ्यकारी कानून है जो उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार सम्पत्ति को अर्जित करने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है । इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रतिकर की गणना की तारीख को स्थैतिक किया गया और पंचाट वर्षों बाद हुए । प्रतिकर प्राप्त होने के समय तक और संभवतः इस न्यायालय में अपील की सुनवाई के प्रक्रम तक सम्पत्ति का मूल्य कुछ ही रह गया । किसी विशिष्ट सम्पत्ति के लिए अथवा सम्पत्तियों के एक वर्ग के लिए बनाई गई विधि द्वारा केवल उस धनराशि को उपलब्ध कराना अपेक्षित है जो ऐसी विधि द्वारा नियत की गई हो अथवा जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी रीति के अनुसार निर्धारित की जा सके जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट हों और ऐसी विधि को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि धनराशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी धनराशि का सम्पूर्ण या कुछ भाग नकद न देकर किसी अन्य रूप में दिया गया है । अनुच्छेद 300-क जो चवालीसवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, केवल यह संरक्षण प्रदान करता है कि विधि के प्राधिकार द्वारा ही सम्पत्ति से वंचित किया जाए । अनुच्छेद 30 का खण्ड (1-क) संसद् अथवा राज्य विधानमंडल से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को अर्जित करने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विधि बनाने की अपेक्षा करता है । खण्ड 1-क के पुरःस्थापन के पश्चात् राज्य साधारण विधि के अधीन कार्रवाई नहीं कर सकता जैसे कि उदाहरणस्वरूप भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन । विशेष विधि बनाने में संसद् और राज्य विधानमंडल को उस विशिष्ट शैक्षिक संस्थान की स्थिति को ध्यान में रखना होगा जिसकी सम्पत्ति अर्जित की जानी है; उदाहरणस्वरूप उसकी वित्तीय दशा, उसकी सम्पत्तियों की संख्या और प्रकृति, उनकी अवस्थिति, संस्थान पर सम्पत्ति के अर्जन का

प्रभाव, उस सम्पत्ति के समान अवस्थिति वाली सम्पत्ति अथवा उसी प्रकार की सम्पत्ति से प्रतिस्थापित करने की साध्यता । ऐसी धनराशि को नियत करने अथवा प्रदान करने के लिए सभी सुसंगत कारकों को विचार में लिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनुच्छेद 30 के अधीन अधिकार निर्बंधित अथवा कम नहीं किया गया है । विशेष विधि स्वयं सम्पत्ति को अर्जित करेगी अथवा राज्य के द्वारा उसके अर्जन को विशेष रूप से प्राधिकृत करेगी और प्रतिकर की धनराशि को निर्धारित करेगी अथवा उसके निर्धारण के लिए उपबंधित करेगा । वह धनराशि इतनी होनी चाहिए कि शैक्षिक संस्थान अर्जित सम्पत्ति को समान सम्पत्ति अथवा इसके बराबर के वास्तविक मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त कर सके । इस मामले में ऐसी किसी विशेष विधि के अभाव में उपरोक्त भवन का अर्जन विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है ।

4. विद्वान् महान्यायवादी ने यह दलील दी कि अनुच्छेद 30 के खण्ड (1-क) के समान उपबंध अनुच्छेद 31 में संविधान (चौबीसवें) संशोधन अधिनियम द्वारा पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है जिसके द्वारा धनराशि के भुगतान की अपेक्षा द्वारा अनिवार्य अर्जन के लिए प्रतिकर के भुगतान की स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है । विद्वान् महान्यायवादी ने यह निवेदन किया कि यह स्थापित विधि है कि संविधान अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों से संबंधित सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए प्रतिषिद्ध नहीं करता किन्तु उपरोक्त वर्णित संरक्षण उपबंध के पुरःस्थापित होने के कारण ऐसे प्रश्न की परीक्षा भिन्न रीति में होनी चाहिए यदि ऐसे अर्जन से यह साबित हो कि इस प्रकार के अर्जन से सम्पत्ति इस स्थिति तक नष्ट हो जाएगी कि शैक्षिक संस्थान की विद्यमानता ही समाप्त हो जाए । पच्चीसवां संशोधन राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिकर के संदाय के बजाए किसी धनराशि के संदाय पर लोक उद्देश्य के लिए विधि द्वारा सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए सशक्त करता है और ऐसी विधि को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि धनराशि जो इस प्रकार नियत या निर्धारित की गई है, पर्याप्त नहीं थी अथवा उसका संपूर्ण अथवा किसी भाग का संदाय नकद के रूप में न करके अन्य माध्यम से किया गया था । पच्चीसवें संशोधन ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के पक्ष में संरक्षण का उपबंध अन्तःस्थापित करते हुए एक अपवाद सृजित किया । संरक्षण के उपबंध के लिए कारण संसद् और राज्य विधानमंडल को पच्चीसवें संशोधन से मार्गदर्शन लेकर ऐसी विधि बनाने से रोकना था जो कि अर्जन के लिए प्रतिकर की धनराशि अधिनिर्णीत न करके कोई अन्य धनराशि अधिनिर्णीत करे । विद्वान् महान्यायवादी के निवेदन के अनुसार यह केवल उस विधान के संबंध में था जो पच्चीसवें संशोधन के उपरांत अधिनियमित किया गया था; जिसके अधीन राज्य से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई कि ऐसी विधि के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की सम्पत्ति के अर्जन के लिए नियत या निर्धारित धनराशि इतनी हो जिससे कि अनुच्छेद 30 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या कम न हो । संविधान के पच्चीसवें संशोधन के पहले सम्पत्ति अर्जन से संबंधित कानूनों उदाहरण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम में अधिकथित सिद्धांतों के आधार पर प्रतिकर का भुगतान करके अधिगृहीत की जा सकती थी । अतः उसमें (भूमि अर्जन अधिनियम में) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के संबंध में संरक्षण संबंधी कोई उपबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं थी । विकल्प में विद्वान् महान्यायवादी ने यह निवेदन किया कि संरक्षण संबंधी उपबंध की अपेक्षा को भूमि अर्जन अधिनियम में पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि यह अधिनियम संवैधानिक आज्ञा के साथ अनुमोदित हो । महान्यायवादी ने विकल्पतः यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम् के अधीन लम्बित कार्यवाहियों और किए जा रहे अर्जनों को उस समय तक अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय संसद् को भूमि अर्जन अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन हेतु समर्थ बनाना उचित न समझे; उन्होंने यह निवेदन किया कि इस प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि दी जानी चाहिए ।

5. अनुच्छेद 30 संविधान में मूलभूत अधिकारों के अध्याय का एक भाग है । यह अल्पसंख्यकों को चाहे वह धार्मिक हों या भाषाई, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है । इसका खण्ड (1-क) यह अपेक्षा करता है कि राज्य विधि बनाते समय, जो एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की किसी सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के लिए उपबंध करता हो, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विधि के अधीन नियत या निर्धारित धनराशि, जिसका संदाय शैक्षिक संस्थान को उसकी सम्पत्ति के अर्जन के लिए होना है, इतनी हो जो उपरोक्त दर्शित अधिकार को न तो निर्बन्धित करे और न ही निराकृत करे । इस प्रकार

खण्ड (1-क) राज्य से अर्थात् केन्द्रीय विधान के मामले में संसद् से अथवा राज्य विधान के मामले में राज्य विधानमण्डल से यह अपेक्षा करता है कि वह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली ऐसी विनिर्दिष्ट विधि बनाए, जिसके उपबंध यह सुनिश्चित करें कि शैक्षिक संस्थानों को उनकी सम्पत्तियों के अर्जन के लिए देय धनराशि ऐसी न हो जो किसी भी रीति से शैक्षिक संस्थानों के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली हो ।

6. यह आवश्यक नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए कोई कानून अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए किन्तु यह आवश्यक है कि ऐसी विधि जो सामान्यतया सम्पत्ति को अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंधित की जाए, इसमें ऐसे संशोधन द्वारा प्रावधान अधिनियमित किया जाना चाहिए जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के विनिर्दिष्ट अर्जन से संबंधित हो । इस उपबंध द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अर्जन के लिए देय धनराशि किसी भी रीति में अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित न करे ।

7. स्पष्टतया संसद् को अपनी संवैधानिक क्षमता में यह आशंका थी कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को उनकी सम्पत्ति को अर्जित करने की समीचीनता द्वारा और बदले में अपर्याप्त धनराशि का संदाय करके उनको बन्द करने अथवा उनके क्रियाकलापों को कम करने के लिए विवश किया जा सकता है । इस रीति से अनुच्छेद 30 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए संसद् ने पहले अनुच्छेद 31 में और बाद में अनुच्छेद 30 में संविधान में संरक्षण उपबंध पुरःस्थापित किया ।

8. हम विद्वान् महान्यायवादी के इस निवेदन से समहत नहीं हो सकते कि कानून के उपबंध जो सामान्यतया सम्पत्ति के अर्जन के लिए उपबंधित किए गए हों, उदाहरणस्वरूप भूमि अर्जन अधिनियम, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि उसके अधीन जो देय है वह प्रतिकर है , अथवा अनुच्छेद 30 के खण्ड (1-क) के उपबंध उस कानून (भूमि अर्जन अधिनियम) के साथ पढ़े जाएं । खण्ड (1-क) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके पुरःस्थापन की तारीख के उपरांत एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन से विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित हो और उस विधि द्वारा ऐसा उपबंध बनाया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह धनराशियां जो उसके अधीन अर्जन के लिए नियत या निर्धारित की गई हैं, इतनी हैं कि अनुच्छेद 30 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को निर्बंधित या कम न करता हो । आवश्यक रूप से इस प्रकार की विधि को बनाते समय उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो उस धनराशि के निर्धारण से संबंधित नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों की सम्पत्तियों के अर्जन के संबंध में लागू है और इस प्रकार सामान्य अर्जन कानून में उपवर्णित नहीं हैं ।

9. तथापि, हमारा यह मत है कि यह उचित होगा कि संसद् और राज्य विधानमंडल को 31 मई, 2002 तक का समय दे दिया जाए जिससे कि वह इस प्रकार की विधियां बना सके, यदि वे ऐसा करना चाहें और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की सम्पत्तियों से संबंधित लम्बित और अपूर्ण अर्जन तभी व्यपगत होंगे यदि समय समाप्त होने तक इन कानूनों को जिनके अधीन अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की गई हैं, संशोधन न किए जाते हों । इसके विपरीत यदि उन्हें समयक्तः संशोधित कर दिया गया तो ऐसे अर्जनों के लिए संदेय धनराशि उनके अधीन निर्धारित की जाएगी ।

10. यह निर्णय भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन याची के उपर्युक्त भवन के सम्बन्ध में भी लागू होगा ।

11. रिट याचिका में तदनुसार आदेश पारित किया जाता है ।

12. 2001 की सिविल रिट याचिका सं.7751 उपरोक्त निबंधनों के अधीन निपटाई जाती है ।

13. खर्चों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है ।

रिट याचिका तदनुसार निपटाई गई ।

शु./मह.